राजस्व अपील प्राधिकारी,अलवर

अज अदालत राजस्व अपील प्रा० मुकाम अलवर

रामेश्वर बनाम सरकार

किस्म मुकदमा 223 RTAct. नं. सन् 59/2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.10.19	पत्रावली बाद जांच रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। अपील मियाद बाहर पेश की गई है अतः सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज की जावे। पत्रावली उपखण्ड अधिकारी अलवर के कोर्ट कैम्प शाहपुर के निर्णय दिनांक 02.06.2017 के विरूद्ध लोक अदालत में किये गये निर्णय के खिलाफ पेश की गई है। अभि. अपीलांट द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि विवादित आराजी पूर्व बंदोबस्त खसरा नंबर 82 रेकॉर्ड में किस्म सिवायचक दर्ज किया हुआ था किन्तु बन्दोबस्त संवत 2020 व 2051 में गलत तौर पर चारागाह दर्ज कर दिया गया जबकि बन्दोबस्त अधिकारियों को किसी भी इन्द्राज को दोहराना चाहिये था इन्द्राज तब्दील करना कानूनन गलत है। अतः विवादित आराजी सिवायचक आराजी थी ना कि चारागाह। विवादित आराजी पर अपीलांट का कब्जा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से ही चला आ रहा है। अभिभाषक अपीलांट ने यह कथन किया कि कैंप कोर्ट में कानूनन उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जो आपसी समझौता अथवा आपसी राजीनामा से हो सकते हैं। जबकि लोक अदालत में उसका दावा गलत तौर से खारिज कर दिया गया। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 20(3) में यह प्रावधान है कि जो प्रकरण लोक अदालत के समक्ष लिया गया है, वहां लोक अदालत उस मामले या विषय का निपटारा करने के लिये अग्रसर होगी और पक्षकारों के बीच समझौता करायेगी या परिनिर्धारण करेगी। इस अधिनियम की धारा 21 व 22 में अत्यन्त प्रासंगिक है जो निम्नानुसार है– (1) लोक अदालत का प्रत्येक निर्णय, अधिनिर्णय यथा स्थिति सिविल न्यायालय की डिक्री या किसी अन्य न्यायालय का आदेश माना जायेगा और ऐसे किसी लोक अदालत द्वारा धारा 20 की उपधारा 1 के अधीन उसका निर्णय किसी लोक अदालत द्वारा मामले में समझौता या परिनिर्धारण किया गया है, वहां ऐसे मामले में संदत्त न्यायालय फीस, न्यायालय फीस अधिनियम 1870 के उपबंधित रीति से लौटा दी जायेगी। (2) लोक अदालत या स्थाई लोक अदालत द्वारा किया गया प्रत्येक अधिनिर्णय अन्तिम और विवाद के सभी पक्षकारों पर होगा तथा अधिनिर्णय के खिलाफ किसी न्यायालय में कोइ अपील नही होगी। हमने विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी। तहत अदालत के निर्णय का अवलोकन किया। बहस पर मनन करने उपरान्त हम ये आदेश देना उचित समझते हैं कि प्रथम तो उक्त अपील लोक अदालत के निर्णय के खिलाफ पेश की गई है। दूसरा तहत अदालत द्वारा अपील में वर्णित सभी बिन्दुओं का अवलोकन नही किया जाकर विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया गया है। उक्त अपील को तहत अदालत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पुनः दोनों पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर देते हुये विधिसम्मत अपना निर्णय पारित करें । आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद तामील दाखिल दफ्तर हो।	